



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6677

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 62 वर्ष 2026

योगेंद्र सिंह भदौरिया

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	विद्या धर दुबे, विवेक द्विवेदी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में बयान दिया है कि जहां तक दिनांक 21.07.2025 के दंड आदेश को चुनौती देने का सवाल है, वे वर्तमान समय में इस पर जोर नहीं देना चाहते हैं, हालांकि, प्राधिकारी को दिनांक 21.07.2025 की अपील पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया जाए जो प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष लंबित है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को कोई आपत्ति नहीं है।
4. न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** करते हुए याचिकाकर्ता को अपील दायर करने का निर्देश दिया जाता है और प्रतिवादी संख्या 3, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय/अपराध कमिश्नरेट, कानपुर, जिला कानपुर नगर को आज से दो महीने के भीतर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट है कि अपील में उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।